न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–सिंगरौली R. 2931-II/14

1. हरिशंकर पुत्र श्री मनीराम वैस, निवासी ग्राम भवॅरखोह, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म0प्र0)
2. जागमती पति सुभगलाल
3. रामजग पुत्र सुभगलाल,
4. रामनिवास पुत्र सुभगलाल
5. अरूण कुमार पुत्र सुभगलाल
6. मानप्रसाद पुत्र सुभगलाल

सभी निवासीगण ग्राम सिद्धीकला, तहसील व जिला सिंगरौली (म0प्र0)

— आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामजी पुत्र श्री तुलसीराम शर्मा, निवासी ग्राम भवॅरखोह, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर, सिंगरौली (म.प्र.)

— अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.08.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा ग्राम भवॅरखोह, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली में स्थित भूमि खसरा कमांक 247 रकवा 2.023 हैक्टेयर, पर दिनांक 26.12.1976 के पूर्व से अतिक्रमण कर काबिज होने के एवं भूमिहीन कृषक के होने के आधार पर भूमि व्यवस्थापन स्वीकार किये जाने की मांग तहसील न्यायालय सिंगरौली से की गयी थी।

2. यहकि, आवेदकगण के आवेदनपत्र के आधार पर नायब तहसीलदार, सिंगरौली द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण क्रमांक 2/अ–19(4)/1985–86 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। प्रकरण में इश्तहार का विधिवत प्रकाशन किया गया एवं आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी। तत्पश्चात्

XXIX(a)-BR(H)-11

(56)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - नि. 2931-दो/14 जिला - सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 58/नि./11-12 में पारित आदेश दिनांक 6-8-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	